न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 01/2024 धारा 6 ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, जिला रसद अधिकारी, शाहपुरा। –प्रार्थी	बनाम	किशन कुमावत पुत्र रामकरण कुमावत, निवासी गणेशपुरा, पंचायत कनेछनखुर्द, जिला शाहपुरा। –विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –
विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
विपक्षी अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित

जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

निर्णय

दिनांक 04 .06.2024

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना--पत्र अन्तर्गत धारा 6--ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित डीजल एवं पेट्रोल का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल(आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के अन्तर्गत दिनांक 23/01/2024 को विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 06.01.2024 को दोपहर 3:00 बजे कनेछन खुर्द पंचायत के गणेशपुरा ग्राम स्थित किशन कुमावत पुत्र रामकरण कुमावत, निवासी गणेशपुरा पंचायत कनेछनखुर्द तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा के नोहरा का औचक निरीक्षण किया गया तो मौके पर एस.एच.ओ. फूलियाकलां मन्नीराम चोयल मिले जिन्होंने वताया कि वृत अधिकारी सुनील प्रकाश शर्मा के निर्देश पर किशन कुमावत के नोहरे पर पहुंचा तो ड्रमों एवं जरिकेनों में पेट्रोल एवं डीजल का अवैध भण्डारण पाया गया तो उन्होंने मुझे दूरभाष/मोवाइल पर सूचित किया। नोहरे में भण्डारित ड्रमों एवं जरिकेनों की जांच करने पर 16 प्लास्टिक ड्रमों एवं 07 जरिकेनों में 3360 लीटर पेट्रोल एवं 14 प्लास्टिक एवं 14 लोहे के ड्रमों में 4320 लीटर डीजल का अवैध भण्डारण पाया गया। इसके अतिरिक्त Instrumment of offence के रूप में नोहरे में लोहे का 01 गेज, 2 कीमा, 10 लीटर के 03 मापा, 05 लीटर का 01 एक मापा, 01 छननी एवं 01 ट्रे पाये गये। नोहरा कार्यवाही के दौरान किशन कुमावत मौके से फरार हो गया। मौके पर भण्डारित डीजल, पेट्रोल, अन्य उपकरण यथा मापा, गेज, कीमा, छननी, ट्रे से स्पष्ट हो गया कि आरोपी किशन कुमावत द्वारा अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण एवं वेचान किया जाता है। जो कि डीजल

जिला कलक्टर
शाहपुरा

एवं पेट्रोल का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल(आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः वजह सबूत 3360 लीटर पेट्रोल, 4320 लीटर डीजल 01 लोहे का गेज, 2 कीमा, 10 लीटर के 03 मापा, 05 लीटर का 01 एक मापा, 01 छननी एवं 01 ट्रे जब्त सरकार किया जाकर एस.एच.ओ. फूलियाकलां मन्नीराम चोयल को संभलाया गया। इस प्रकार विपक्षी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया है। अतः कार्यवाही सम्बन्धी पत्रादि प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि जप्तशुदा माल को राजसात कराने का आदेश प्रदान करावे। चूंकि डीजल एक ज्वलनशील पदार्थ है अतः प्रकरण के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना हैं अतः अन्तरिम निस्तारण का आदेश भी प्रदान करावें।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29/01/2024 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भाटी द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया।

3. विपक्षी अधिकवक्ता की ओर से दिनांक 18.03.2024 को जवाव पेश कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में जब्तशुदा सामग्री की अभी तक नियमानुसार जांच नहीं हुई है। प्रकरण में जब्दशुदा सामग्री की नियमानुसार जांच होना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थी किशन कुमावत निर्दोष है। राजनैतिक द्वेषता के कारण प्रार्थी पर पुलिस थाना फूलिया कलां द्वारा प्रकरण संख्या 07/2024 दर्ज कराया गया। जो कि अभी विचाराधीन है। अतः उक्त प्रकरण के निस्तारण तक जब्तशुदा सामग्री को राजसात सुरक्षित रखने के आदेश प्रदान करावें।

4. प्रकरण में दिनांक 03.06.2024 को उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए जब्तशुदा सामग्री को राजसात नहीं करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि उक्त जब्त सुदा सामग्री 3360 लीटर पेट्रोल, 4320 लीटर डीजल 01 लोहे का गेज, 2 कीमा, 10 लीटर के 03 मापा, 05 लीटर का 01 एक मापा, 01 छननी एवं 01 ट्रे पुलिस थाना फूलियाकलां के स्वागत कक्ष में रखा है। वर्तमान में गर्मी से तापमान में काफी बढोतरी हो रही है आने वाल दिनों में भी तापमान का बढ़ना तय है। डीजल एवं पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। वर्तमान के तापमान को देखते हुए कभी भी विस्फोट हो सकता है तथा जनधन की हानि हो सकती है। साथ ही थानाधिकारी फूलिया कलां द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 30.05.2024 को रात्रि में उक्त रखे हुए डीजल एवं पेट्रोल के ड्रमों में से एक ड्रम लकेज होने से खाली हो गया है।

5. प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। उसके उपरान्त पाया गया कि प्रकरण में अभी एफ एस एल रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। उक्त जब्तशुदा सामग्री ज्वलनशील है जिसमें कभी

जिला कलक्टर
शाहपुरा

भी विस्फोट होने की संभावना है। यदि उक्त जब्त सुदा सामग्री को राजसात नहीं कराया गया तो जनधन की हानि होना संभव है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार इस शर्त पर कि पुलिस थाना फूलियाकलां में विपक्षी के विरूद्ध दर्ज संबंधित मुकदमे में यदि विपक्षी निर्दोष साबित होता है तो जब्त सामग्री के विक्रय से प्राप्त राशि विपक्षी को लौटाई जावे, जब्त सामग्री को राजसात किया जाकर उचित माध्यम से विक्रय कर विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश दिया जाना उचित ठहरता है। अतःएव–

आदेश

6. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित डीजल एवं पेट्रोल का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल(आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 स्वीकार किया जाता है। विपक्षी से जब्त किये गये 3360 लीटर पेट्रोल, 4320 लीटर डीजल 01 लोहे का गेज, 2 कीमा, 10 लीटर के 03 मापा, 05 लीटर का 01 एक मापा, 01 छननी एवं 01 ट्रे को राज्यसात किया जाकर इसको उचित माध्यम से विक्रय करने एवं विक्रय राशि राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं। यदि विपक्षी प्रकरण से संबंधित पुलिस थाना फूलियाकलां के मुकदमे में निर्दोष साबित होता है तो जब्त सामग्री के विक्रय से प्राप्त राशि विपक्षी को लौटाई जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, शाहपुरा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 04 / 06 / 2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा